v/;k;&III
jkT; vkcdkjh

3.1 dj i'kklu

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं शुल्क का आरोपण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल से होता है। आसवनियो में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होता है।

राज्य आबकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग का प्रमुख होता है। आबकारी विभाग आगरा, गोरखपुर लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसका प्रभार संयुक्त आबकारी आयुक्त को है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदो में सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षको की नियुक्ति होती है जो कि आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व का आरोपण एवं उद्ग्रहण सम्बन्धी रख–रखाव एवं विनियमन करते हैं।

3-2 ys[kkijh{kk d ifj.kke

राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 11,643.84 करोड़ के राजस्व की वसूली की। राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित कुल 320 इकाईयों में से 150 इकाईयो की नमूना जाँच में पाया गया कि शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन, आबकारी राजस्व/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज/प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमित्ताओं के ₹ 493.22 करोड़ 448 प्रकरणों में शामिल है। जो निम्न लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत lkj.kh 3.1 में दर्शाये गये हैं :

lkj.kh 3.1
ys[kkijh{kk d ifj.kke

			(₹ djkM+ e)
Øe l[;k	Jf.k;k	Ekkeyk dh l[;k	/kujkf'k
1	आबकारी अभिकर का न/कम वसूली	35	221.15
2	लाइसेन्स फीस/ ब्याज की वसूली न किया जाना	162	219.55
3	अन्य अनियमिततायें	251	52.52
;kx		448	493-22

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2013–14 दौरान विभाग ने 61 मामलों में ₹ 22.22 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। जिनमें से दो मामलों में ₹ 57,888 सन्निहित था जिसे वर्ष 2013–14 में इंगित किया गया था शेष पूर्व वर्षो के थे। 66 मामलों में ₹ 25.53 लाख की वसूली वर्ष के दौरान की गयी जिसमें से दो मामलों में ₹ 57,888 सन्निहित था, वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे। शेष प्रकरणो में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 3.98 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

3.3 ys[kkijh{kk vkifRr;k¡

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, प्रशमन शुल्क/ब्याज एवं किराये का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

ys[kkijh{kk mi;yfC/k;k¡

3-4 ns'kh efnjk dk U;wure iR;kHkwr ek=k esa de nj ls of) fd;k tkuk

आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2012–13 मे न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण पिछले वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा मे छः प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाना था। दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त वृद्धि के अनुसार किया जाना था। बेसिक लाइसेन्स फीस एम0जी0क्यू0 के अनुसार देय है और लाइसेन्स फीस का समायोजन आसवनी स्तर पर पहले से ही भुगतान की गई आबकारी अभिकर से किया जाता है।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के उपभोग पंजिका, 12 ग प्रपत्र (व्यवस्थित दुकानों का विवरण) एवं अन्य अभिलेखो की जाँच की एवं उसमें से छः जि0अ0का0 में पाया (जुलाई 2013 व जनवरी 2014 के मध्य) कि विगत वर्ष के एम0जी0क्यू0 में छः प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर 5.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि (न्यूनतम 4.47 प्रतिशत एवं अधिकतम 5.90 प्रतिशत) की गयी। इसके फलस्वरूप 2012–13 में एम0जी0क्यू0 में 1,09,346 बी0एल0 का कम निर्धारण हुआ और शासन को बेसिक लाइसेन्स फीस के रूप में ₹ 24.06 लाख एवं लाइसेन्स फीस के रूप में ₹ 1.74 करोड़ की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा जैसा कि ifjf'k"V **XXIII** में वर्णित किया गया।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि देशी मदिरा के एम0जी0क्यू0 का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। लेकिन तथ्य यह है, कि विभाग ने सम्बन्धित वर्ष के आबकारी नीति के अनुसार एम0 जी0 क्यू0 में छः प्रतिशत की वृद्धि जो कि जि0 आ0 आ0 द्वारा किया जाना आवश्यक था न करके 5.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि की।

3-5 ch;j ckj ykbZlsal Qhl dk fcuk ch;j dh fcØh fd;k tkuk

विदेशी मदिरा का तात्पर्य माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और मदिरा से हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 में परिभाषित हैं। बीयर उक्त परिभाषा में शामिल नहीं हैं। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के नियम 647 एवं 648 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2002 में कहा गया है कि होटल, डाक बंगला या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र–7(ख) में बीयर बार लाइसेंस आवश्यक है। नियम 10 के अनुसार लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0–6 सम्मिश्र, चार व पाँच सितारा होटलों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए और एफ0एल0–6 लाइसेंस उपरोक्त के अतिरिक्त होटलों के लिए निर्गत किये जाते हैं। जलपान गृहों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7 लाइसेंस आवश्यक हैं। एफ0 एल0–6

सम्मिश्र और एफ0एल0–7 के अन्तर्गत केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री अनुमन्य हैं न कि बोतल में भरी बीयर की।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के बार लाइसेंसों, उपभोग विवरण एवं राजस्व प्राप्ति रजिस्टर की जाँच की एवं उसमें से आगरा, बस्ती, गाजियाबाद, जलौन, झाँसी और सोनभद्र के छः जि0अ0का0 में पाया (अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के मध्य कुल 87 होटल/जलपान गृह बार के लाइसेंस एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 श्रेणी के लाइसेंस व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये, जहाँ कि बोतल में बीयर का उपभोग दर्शाया गया था। इन होटलों/जलपान गृहों को आवश्यक बीयर की फुटकर बिक्री का लाइसेंस एफ0एल0–7ख निर्गत नहीं किया गया था। एफ0एल0–7ख के लाइसेंस जारी न करने के फलस्वरूप शासन ₹ 1.31 करोड़ के लाइसेन्स शुल्क से वंचित रहा।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि विदेशी मदिरा की परिभाषा के लिए, विज्ञप्ति सं0 8272–ई/XIII-656–79 दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को संज्ञान में लिया जाता हैं, जिसमें विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल हैं। शासन का उत्तर, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 के अनुसार नहीं हैं जहाँ विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल नहीं हैं।

3-6 vkcdkjh jktLo dk foyfEcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjki.k

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अर्न्तगत जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय होता है।

3-6-1 हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के बकाया रजिस्टर एवं जी 6 (रजिस्टर जिसमें आबकारी विभाग की सभी प्राप्तियों का रखरखाव आबकारी कार्यालयो में किया जाता है) की जाँच की एवं उसमें से तीन जि0अ0का0 में कुल 17 मामलों में से 11 मामलो मे पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि अप्रैल 1981 से अप्रैल 2013 की अवधि का आबकारी राजस्व ₹ 21.18 लाख फरवरी 2011 एवं फरवरी 2014 के मध्य जमा किया गया अर्थात तीन माह से 349 माह के विलम्ब से जमा किया गया। फिर भी विलम्बित भुगतान पर विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि ₹ 7.12 लाख आरोपित नही की गयी, जैसा कि lkj.kh 3-2 में दिया गया है।

Lkkj.kh 3-2

vkcdkjh jktLo dk foyfEcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjki.k

(₹ yk[k esa)

Ø0la0	dk;kZy; dk uke	ndkuksa dh la[;k	Hkqxrku dh ns; frfFk	Hkqxrku dh vof/k	/kujkf'k	foyfEcr vof/k ekgksa esa	C;kt dh /kujkf'k
1	जिला आबकारी कार्यालय बस्ती	1	अप्रैल 2006	मई 2012 से मई 2013	2.00	29 से 84	2.17
2	जिला आबकारी कार्यालय गाजीपुर	3	जनवरी 2012 से जनवरी 2013	मई 2012 से मई 2013	17.01	3 से 6	1.00
3	जिला आबकारी कार्यालय गोरखपुर	7	अप्रैल 1981 से अप्रैल 2013	फरवरी 2011 से फरवरी 2014	2.17	4 से 349	3.95
;kx		11			21-18		7-12

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 व अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने बस्ती और गोरखपुर की आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2014) कि बस्ती में बाकीदार से ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है एवं गोरखपुर के मामलो में माँग पत्र भेज दिये गये है। क्रम सं0 2

के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि उक्त धनराशि जमा प्रतिभूति से समायोजित कर लिया गया है। अतः ब्याज आरोपणीय नहीं है। हम उत्तर के इस भाग से सहमत नहीं है क्योकि जमा प्रतिभूति राजस्व नहीं होता है एवं राजस्व का भुगतान किया हुआ तभी माना जाता है जब ऐसी धनराशि का समायोजन हो जाये।

3-6-2 उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार तीन कार्य दिवस के अन्दर सम्पूर्ण अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा। वर्ष 2012–13 के सम्बन्ध में अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि जमा करने का आदेश मार्च 2012 में निर्गत किया गया था।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के दुकानो के व्यवस्थापन पत्रावली, जी–12 विवरण (व्यवस्थित दुकानो का विवरण) एवं जी–6 रजिस्टर की जाँच की एवं उसमें से तीन जि0आ0का0 में कुल 674 प्रकरणों में से 224 मामलों में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि आबकारी अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.41 करोड़ जो कि मार्च 2012 की अवधि से सम्बन्धित था, को नवम्बर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य जमा किया गया, जोकि आठ से 11 माह विलम्ब से जमा हुए थे। इस प्रकार विलम्बित जमा पर ब्याज की धनराशि ₹ 18.90 लाख विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया जैसा कि lkj.kh 3-3 में दर्शाया गया है।

Lkj.kh 3-3
vkcdkjh jktLo ds foyfEcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjksi.k

(₹ yk[k esa)							
d0l0	dk;kZy; dk uke	izdj.kksa dh la[;k	tek dh ns; vof/k	tek dh vof/k	/kujkf'k	foyfEcr vof/k ekgks esa	C;kt dh /kujkf'k
1	जिला आबकारी कार्यालय गौतमबुद्ध नगर	112	मार्च 2012	जनवरी 2013	66.33	9	8.95
2	जिला आबकारी कार्यालय गाजियाबाद	70	मार्च 2012	जनवरी 2013	45.96	9	6.21
3	जिला आबकारी कार्यालय लखनऊ	62	मार्च 2012	नवम्बर 2012 से मार्च 2013	28.55	8 से 11	3.74
	;ksx	244			140-84		18-90

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि आबकारी मुख्यालय के पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2012 के अनुसार जमा किया गया है और अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क नवम्बर 2012 में निर्देश जारी होने के तीन माह के अन्दर जमा किये गये है। जबकि वास्तविकता यह है कि अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि जमा करने का पत्र मार्च 2012 में निर्गत किया गया था।

3-7 xksnkeksa ij fdjk;s ,oa LVkEi 'kqYd dk de vkjksi.k

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियो के किराये की दरें द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है, जिसे सर्किल रेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदामो के लाइसेन्सो का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के नियम 5(2) एवं (3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किराये का भुगतान करने पर जिले के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम भवन मे लाइसेंसधारी को बंधित गोदाम चलाने की अनुमति दी जायेगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत एक वर्ष से अनधिक अवधि की पट्टा पर हस्तांतरण विलेख के समान देय सम्पूर्ण राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

हमने जिला आबकारी कार्यालयों आगरा, बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर और रायबरेली के लेखापरीक्षा में पाया (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को किराये पर विभागीय गोदाम पट्टे पर दिया गया। हमने निम्नलिखित अनियमिततायें इन प्रकरणो में पायीः

3-7-1 वर्ष 2009–10 से 2013–14 के मध्य जिला आबकारी कार्यालयों बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर और रायबरेली के 21 प्रकरणो में देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों से गोदामो को दिये गये पट्टे पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क (सम्पत्ति मूल्यॉकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार सही किराया प्रभार्य नहीं किया गया, जिससे कि ₹ 20.66 लाख किराया (अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार सही किराया ₹ 28.73 लाख, विभाग द्वारा आरोपित किराया ₹ 8.07 लाख) एवं ₹ 1.15 लाख के स्टाम्प शुल्क (स्टाम्प शुल्क आरोपित शून्य, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय ₹ 1.15 लाख एवं स्टाम्प शुल्क कम आरोपित ₹ 1.15 लाख) की कम वसूली की गयी।

3-7-2 वर्ष 2013–14 में जिला आबकारी कार्यालय, आगरा के दो प्रकरणों में हमने देखा कि ₹ 100 एवं ₹ 200 के स्टाम्प पत्र पर ₹ 26.79 लाख का किरायानामा निष्पादित किया गया जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (भा0स्टा0अधि0) के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के विरूद्ध था। इस प्रकार, इन प्रकरणों में ₹ 1.07 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

जनपद के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा किरायेनामे पर सही किराया आरोपित करने एवं अनुबन्ध पर उचित स्टाम्प शुल्क के भुगतान को सुनिश्चत करने का प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप शासन ₹ 20.66 लाख कम किराया एवं ₹ 2.22 लाख स्टाम्प शुल्क के राजस्व से वंचित रहा।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013 व अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने ₹ 20.28 लाख की हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2014) एवं उसमे से ₹ 5.99 लाख वसूल कर लिया गया है। जनपद हमीरपुर के प्रकरण में जिसमे आपत्ति ₹ 2.59 की है, स्वीकार नहीं किया और कहा कि किराया जिलाधिकारी द्वारा अगस्त 2006 में निर्धारित किया गया था एवं तद्नुसार किराया आरोपित किया गया है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अन्य सभी प्रकरणों में विभाग द्वारा अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार किराया आरोपित किया गया है परन्तु जनपद हमीरपुर के मामले मे उसे लागू नहीं किया गया।

3-8 foyEc ls ikIr ,e0,Q0&4 xsV ikl ij vFkn.M dk vuqkj.k

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के नियम–27 में प्रावधानित है, कि प्रभारी अधिकारी या नियम–26 के अधीन नियंत्रक द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से प्रेषित मात्रा की प्राप्ति पर तुरन्त शीरे की मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित करेगा और सत्यापन के परिणामों और उसके द्वारा की गयी नमूना जाँचो को चीनी मिल से प्रेषित माल सहित दो प्रतियों में प्राप्त गेट पास फार्म एम0एफ0–4 के पृष्ठ भाग पर अंकित करेगा। आसवनी गेट पास की एक प्रति स्वयं रखेगा और दूसरी प्रति प्रभारी अधिकारी द्वारा चीनी मिल के प्राप्तकर्ता को इस प्रकार भेजेगा कि आसवनी के गेट पर प्रेषित माल के पहॅुचने के एक सप्ताह के अन्दर पहॅुच जाये।

चीनी मिल में आबकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा एम0एफ0–4 गेट पास वापसी प्राप्ति का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा, कि अधिकृत आसवनी द्वारा शीरे की प्राप्ति की गयी है, और एम0एफ0–4 गेट पास में मात्रा एवं गुणवत्ता को अंकित कर दिया गया है। शीरा नियंत्रण अधिनियम, की धारा–11 के अन्तर्गत किसी नियम या बनाये गये आदेश या निर्गत दिशा–निर्देश के उल्लंघन पर कैद या अर्थदण्ड आरोपणीय होगा, जिसको दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, और सतत उल्लंघन पर अतिरिक्त

अर्थदण्ड भी देय होगा, जिसको सतत उल्लघंन के दौरान सौ रूपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

हमने जून 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य पाँच चीनी मिलो के लेखापरीक्षा में 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान आसवनियो को निर्गत एम0एफ0–4 (गेटपास वह है जिसके द्वारा शीरा चीनी मिल से आसवानी को प्रेषित किया जाता है) गेट पासो का निरीक्षण किया। हमने देखा कि 5,627 एम0एफ0–4 गेट पासो, में से 603 एम0एफ0 4 गेट पास (10.72 प्रतिशत) इन चीनी मिलो में सम्बन्धित आसवनियों से एक दिन से 80 दिनों के विलम्ब से वापस प्राप्त हुए थे, जो कि निर्धारित सात दिन की सीमा से अधिक अवधि के थे। आसवनियाँ इन गेट पासों की समय से वापसी के लिए उत्तरदायी थी, फिर भी आसवनियाँ द्वारा इन गेट पासों की समय से वापसी नहीं की गयी। चीनी मिल के विभागीय अधिकारियो द्वारा आसवनियों द्वारा चीनी मिल को विलम्ब से वापस किये गये गेटपासों को संज्ञान में नहीं लिया गया और न ही अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जो कि ₹ 21.01 लाख थी। जिसे lkj.kh 3-4 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 3-4

vFkZn.M dk vukjksi.k

(₹ esa)

Ø0 l0	phuh fey dk uke	vof/k	phuh fey }kjk tkjh dqy ,e0,Q0 xsV ikl dh la[;k	foyEc ls izkIr ,e0,Q0 xsV ikl dh la[;k	foyEc ds fnuksa dh la[;k	vFkZn.M izfr izdj.k ₹ 2000 dh nj ls	vFkZn.M izfr izdj.k izR;sd vfrfjDr fnuksa dk ₹ 100 dh nj ls	vFkZn.M dh dqy /kujkf'k
1	इण्यिा पोटास लि0 सुगर, जरवल रोड बहराइच	2010–11 एवं 2012–13	774	89	1–32	1,78,000	1,27,600	3,05,600
2	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 गजरौला अमरोहा, जे0पी0 नगर	2009–10 से 2011–12	2,131	214	1.–27	4,28,00	1,13,300	5,41,300
3	त्रिवेणी इन्जिरियरिंग एण्ड इण्डस्टीज लि0 चॉदपुर अमरोहा, जे0पी0 नगर	2010–11	1,678	95	5–14	1,90,000	95,100	2,85,100
4	रूद्र विकास किसान सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर रामपुर	2008–09	188	97	9–80	1,94,000	3,10,000	5,04,000
5	किसान सहकारी चीनी लि0 सुल्तानपुर (अवध)	2010–11 एवं 2012–13	856	108	4–57	2,16,000	2,48,900	4,64,900
	;ksx		5]]627	603	1&80	12]06]000	8]94]900	21]00]900

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 एवं दिसम्बर 2013)। शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

3-9 olwyh izek.k&i= esa vfu;ferrkvksa dk ik;k tkuk

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार सभी आबकारी राजस्व जिसमें ऐसी सभी धनराशियॉ सम्मिलित होंगी जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी समझौते के एवज में किसी व्यक्ति द्वारा शासन को देय होती है, कि वसूली भूराजस्व की बकाया की भॉति या सार्वजनिक मॉग द्वारा वसूली तत्समय प्रभावी कानून द्वारा विहित हो, ऐसे व्यक्ति अथवा उसके जमानत से की जायेगी, जो मुख्यतः इसके लिये उत्तरदायी होगा

उक्त अधिनियम की धारा 38 क के अन्तर्गत जहाँ कोई भी आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, उक्त आबकारी राजस्व पर देय तिथि से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि तक देय ब्याज एवं मूलधन वसूल करने की तिथि तक ब्याज की दर को इंगित किया जाना चाहिए। दो निदर्शी प्रकरणों की चर्चा आगे के प्रस्तरो में की गयी है।

3-9-1 n.Md C;kt dk lfEefyr fd;s fcuk olwyh iek.k&i= dk tkjh fd;k tkuk

हमने जिला आबकारी कार्यालय बुलन्दशहर में देखा कि ₹ 4.48 लाख का एक वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया गया परन्तु उस पर देय ब्याज का उल्लेख नही था। फलस्वरूप मूलधन के साथ ब्याज की वसूली नहीं हो सकी। विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.51 लाख का एक दूसरा वसूली प्रमाण–पत्र जुलाई 2008 में जारी किया गया। छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

3-9-2 ikjfEHkd vfHkys[k ds lR;kiu u djus ds QyLo:Ik gkfu

हमने जून 2013 में जिला आबकारी कार्यालय औरैया के अभिलेखो में देखा कि वर्ष 1991–92 के देशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापन शुल्क ₹ 22.68 लाख की वसूली के लिए वर्ष 1991 से 1998 तक में लगातार चार वसूली प्रमाण–पत्र जारी की गयी। विभाग अपने अनुज्ञापी के पते से अनभिज्ञ था जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि, वसूली प्रमाण पत्रो को समय–समय पर जनपद इलाहाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया को जारी की गयी थी। विभाग ने अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन में शिथिलता बरती, जैसे कि हैसियत प्रमाण–पत्र नकली पाया गया, पता गलत लिखा पाया गया, और चल/अचल सम्पत्तियाँ अभिलेखों पर नहीं पायी गयी। फलस्वरूप विभाग द्वारा 25 जनवरी 2012 को ब्याज सहित मूलधन रू0 90.36 लाख के वसूली के लिए पाँचवी वसूली प्रमाण–पत्र जारी की गयी, जिसकी वसूली आज तक (दिसम्बर 2014) नहीं हुयी।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर मे कहा (अक्टूबर 2014) कि उक्त धनराशि के वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

3.10 vkUrfjd ys[kkijh{kk

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वस्त बनाता है कि निर्धारित प्रणालियां तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक वित्त नियन्त्रक, एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, छः वरिष्ठ लेखा परीक्षक, पाँच लेखाकार एवं छः लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक वित्त नियंत्रक, एक वित्त लेखाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी, एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक, तीन लेखाकार एवं चार लेखा परीक्षक ही कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु कुल 140 इकाईयॉ आयोजित थीं, किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा केवल 109 इकाईयों की ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा में उठायी गई आपत्ति, उसमें निहित धनराशि एवं निस्तारण का विवरण lkj.kh 3-5 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 3-5

vkUrfjd y[kkijh{kk

								(₹ yk[k e)
o"k	ikjfEHkd vo'k"k		o"k dk nkjku of)		o"k dk nkjku fuLrkj.k		vfUre vo'k"k	
	idj.kk dh l[;k	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l[;k	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l[;k	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l[;k	lfUufgr /kujkf'k
2009–10	152	190.42	219	1,880.7	61	47.59	310	2,023.53
2010–11	310	2,023.53	176	204.13	126	117.03	360	2,110.63
2011–12	360	2,110.63	136	70.22	199	352.35	297	1,828.50
2012–13	297	1,828.50	140	58.75	244	266.75	193	1,620.50
2013–14	193	1,620.50	101	46.13	70	37.52	224	1,629.11

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरूद्ध विभाग द्वारा अनुपालन कम किया गया।

ge lLrfr djr g fd vkUrfjd y[kkijh{kk 'kk[kk dk etcr fd;k tk; vkj ;FkkFk :i e ,d okf"kd y[kkijh{kk vk;ktuk r;kj fd;k tk;A vkUrfjd y[kkijh{kk 'kk[kk }kjk mBk; x; idj.k e olyh dh lefpr o Rofjr dk;okgh dh tk;A